गोपनीय

संख्या–वे0आ0– 2119 / दस–115(सा0) / 2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

विषयः–मुख्य सचिव समिति (2011) की संस्तुतियों पर उ0प्र0 सचिवालय के समीक्षा अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी के सचिवालय भत्ते के अंश को ग्रेड वेतन में परिवर्तित करने हेतु लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव समिति (2011) की उ0प्र0 सचिवालय के समीक्षा अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी के सचिवालय भत्ते के अंश को ग्रेड वेतन में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

" उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी (लेखा) के लिए सचिवालय भत्ते में रू0 200 तथा अनुभाग अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (लेखा) के लिए सचिवालय भत्ते में रू0 600 के सचिवालय भत्ते के अंश को ग्रेड वेतन में परिवर्तित करते हुए समीक्षा अधिकारी/समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पद पर संशोधित वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 तथा अनुभाग अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद पर संशोधित वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सचिवालय के अपर निजी सचिव के लिए रू0 200 तथा निजी सचिव ग्रेड–1 के लिए रू0 600 के सचिवालय भत्ते के अंश को ग्रेड वेतन में परिवर्तित करते हुए अपर निजी सचिव के पद पर संशोधित वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 तथा निजी सचिव ग्रेड–1 के पद पर संशोधित

वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाए।''

2– कृपया उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव, वित्त।

पृष्ठांकन संख्या–वे0आ0–2– 2119(1)/दस–115(सा0)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
उप सचिव।